राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 48/2023 अपील

1. मेवाराम गुर्जर पुत्र भैरूलाल गुर्जर निवासी दौलतगढ तहसील आसींद
2. मांगी लाल पिता भैरू लाल गुर्जर निवासी दौलतगढ तहसील आसींद
3. हरदेव पिता भैरू लाल गुर्जर निवासी दौलतगढ तहसील आसींद जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

बनाम

1. लादु लाल पिता बालु लाल सरगरा निवासी दौलतगढ तहसील आसींद जिला भीलवाडा

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार आसींद बमामले प्रकरण संख्या 05/2022 पारित निर्णय दिनांक 29.09.2023

उपस्थित –

1. श्री दूदाराम कुमावत अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री संजय सेन अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 15.12.2025

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी लादुलाल ने तहसीलदार आसीन्द के समक्ष आवेदन अन्तर्गत धारा 183 बी प्रस्तुत कर निवेदन किया की राजस्व ग्राम दौलतगढ़ की आराजी नम्बर 118 रकबा 0.29 हैक्टर जो कि प्रत्यर्थी के नाम खातेदारी दर्ज हैं। उक्त बाबत एस०डी०ओ० आसीन्द के समक्ष प्रकरण संख्या 126/2021 पेश कर पत्थरगढ़ी आदेश प्राप्त किया तथा उक्त आदेशानुसार दिनांक 11–06–2022 को वाद ग्रस्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी की गई। जिसमें कब्जा अपीलार्थीगण का पाया गया तथा प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 02 में यह कथन किया की प्रत्यर्थी अप्रेल 2018 से 2020 तक दौलतगढ़ से बाहर नौकरी करता था, इस दरमियान अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी की अनुपस्थिति में आराजी नम्बर 118 रकबा 0.29 हैक्टर पर नाजायज अतिक्रमण कर लिया। उक्त जायदाद पर अपीलार्थीगण का पीढ़ी दर–पीढ़ी 70–80 सालों से निरन्तर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा हैं तथा उक्त आराजीयात पर अपीलार्थीगण के पिता भैरू लाल गुर्जर एवं उनकी दादी मां जमनी देवी द्वारा वर्ष 1999 में पक्की चार दीवारी एवं उक्त दीवार पर पानी का नाला

15.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

यानि की धोरा बनवाया गया जो कि आज तक मौके पर बना हुआ हैं। प्रत्यर्थी एवं उसके पिता बालू लाल एवं उसके दादा गणेश लाल तक का भी कभी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। साबिक राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार आराजी नम्बर 118 रकबा 0.29 हैक्टर के साबिक आराजी नम्बर 1680 रकबा 0.19 बिस्वा कायम किये गये हैं तथा प्रत्यर्थी के साबिक आराजी नम्बर 44/1 के नवीन नम्बर 138 का बटा नम्बर 138/4646 कायम करते हुए उक्त को बिलानाम दर्ज किया गया था तथा उक्त अनुसार भी प्रार्थी के पिता के नाम साबिक आराजीयात के मुकाबले अधिक रकबा दर्ज किया गया परन्तु उक्त समस्त राजस्व रेकॉर्ड की अवहेलना किये जाने से उक्त निर्णय एवं आदेश प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य हैं। निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द के निर्णय अन्तर्गत धारा 183बी दिनांक 29–09–2023 अनवान लादु लाल बनाम मेवाराम व अन्य को निरस्त फरमाया जावें।

प्रस्तुत अपील न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त जायदाद पर अपीलार्थीगण का पीढ़ी दर–पीढ़ी 70–80 सालों से निरन्तर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा हैं तथा उक्त आराजीयात पर अपीलार्थीगण के पिता भैरू लाल गुर्जर एवं उनकी दादी मां जमनी देवी द्वारा वर्ष 1999 में पक्की चार दीवारी एवं उक्त दीवार पर पानी का नाला यानि की धोरा बनवाया गया जो कि आज तक मौके पर बना हुआ हैं। प्रत्यर्थी एवं उसके पिता बालू लाल एवं उसके दादा गणेश लाल तक का भी कभी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। साबिक राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार आराजी नम्बर 118 रकबा 0.29 हैक्टर के साबिक आराजी नम्बर 1680 रकबा 0.19 बिस्वा कायम किये गये हैं तथा प्रत्यर्थी के साबिक आराजी नम्बर 44/1 के नवीन नम्बर 138 का बटा नम्बर 138/4646 कायम करते हुए उक्त को बिलानाम दर्ज किया गया था तथा उक्त अनुसार भी प्रार्थी के पिता के नाम साबिक आराजीयात के मुकाबले अधिक रकबा दर्ज किया गया परन्तु उक्त समस्त राजस्व रेकॉर्ड की अवहेलना किये जाने से उक्त निर्णय एवं आदेश प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य हैं। निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द के निर्णय अन्तर्गत धारा 183बी दिनांक 29–09–2023 अनवान लादु लाल बनाम मेवाराम व अन्य को निरस्त फरमाया जावें।

15.12.25

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रश्नगत जायदाद पर अपीलाण्टगणों का अवैध अतिक्रमण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जिसमें कोई त्रुटि नही हैं। उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के आदेश की पालना में दिनांक 11.06.2022 को उक्त आराजियात की पत्थरगढी करायी गयी जिसमें अपीलाण्टगणों का अवैध कब्जा होना पाया गया। जबकि उक्त अराजियात प्रत्यर्थी के नाम खातेदारी से दर्ज रिकार्ड हैं। अपीलाण्ट द्वारा नाले का निर्माण नही कराया गया। निवेदन हैं कि अपीलाण्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। जिस अनुसार पाया गया कि प्रश्नगत आराजियात मे से देवनारायण डोली की आराजी का विवाद होने से तथा पुराने खसरा नम्बर एवं बाद सेटलमेन्ट नये खसरा नंबर में कुल रकबे में अन्तर पाये जाने से प्रश्नगत आराजियात का एक वादपत्र अंतर्गत धारा 63,88 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर आसीन्द में जैरकार हैं। जिससे उक्त आराजियात पर किसी प्रकार का निर्णय इस न्यायालय से किया जाना विधिक रूप उचित प्रतीत नही होता हैं। उभयपक्ष उक्त न्यायालय में चाराजोही करें। सहायक कलक्टर आसीन्द के न्यायालय के निर्णय के पश्चात् उभयपक्ष आवश्यक समझे तो इस न्यायालय में पुनः अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र हैं।

उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.12.25

(रणजीत सिंह)
अति. जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा